भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *338

18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स के लिए संशोधित दिशानिर्देश

*338. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारें संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपनी ही प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं और एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के स्थान पर अपने स्वयं के नियम बना रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ड़) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *338 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) जी हाँ। एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 का संशोधित सेट दिनांक 01.04.2023 से लागू किया गया और यह www.mplads.gov.in पर एमपीलैड्स पोर्टल पर उपलब्ध है।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 की मुख्य विशेषताएँ संलग्न (अनुबंध I) हैं।

(ग) से (ड़) एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत, माननीय सांसद जिला प्राधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से विकास कार्यों की संस्तुतियाँ भेजते हैं और इन्हें जिला प्राधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक और वित्तीय नियमों तथा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है।

*****

अनुबंध-I

{दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *338 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध}

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

क्रम संख्या	मुख्य विशेषताएँ
1	वैश्विक महामारी कोविड के कारण यह योजना 6 अप्रैल 2020 से 9 नवंबर 2021 तक निलंबित कर दी गई थी।
2	इस अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5 करोड़ रुपये के स्थान पर केवल 2 करोड़ रुपये जारी किए गए।
3	यह योजना 10 नवंबर, 2021 से पुनः शुरू की गई।
4	नई निधि प्रवाह प्रक्रिया के अंतर्गत, नए कार्यों के लिए अनुशंसा केवल **ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम** से दी जा सकती है।
5	सांसद द्वारा की गई सभी अनुशंसाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति आईडीए द्वारा अनुशंसाएँ प्राप्त होने की तारीख से **45 दिनों के भीतर** जारी की जाएगी।
6	निर्वाचित सांसद, आपदा की स्थिति को छोड़कर, अपने **निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर के लिए भी एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक के कार्य** की अनुशंसा कर सकते हैं।
7	सांसद द्वारा एक बार अनुशंसित कार्यों को उत्तराधिकारी सांसद द्वारा नहीं बदला जा सकता, भले ही वही व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हो जाए, या पुनः नामांकन पर उसी जिले को अपना नोडल जिला चुन ले।
8	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एमपीलैड्स प्रभाग नियमित रूप से एमपीलैड योजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह प्रभाग एमपीलैड्स पोर्टल और दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता लाने के लिए एमपी, एसएनए, एनडीए, आईडीए आदि हेतु कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है।
9	राज्य नोडल विभाग के प्रशासनिक सचिव उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एमपीलैड्स के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करने के लिए एसएनए होंगे।
10	आईडीए जिला स्तर पर कार्यों की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

11	कार्यान्वयन एजेंसी नियमित रूप से कार्य-स्थल का दौरा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रहा है।
12	कार्यान्वयन एजेंसी को एमपीलैड्स कार्यों का 100% निरीक्षण करना होगा।
13	एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार एमपीलैड्स निधियों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है: (i) सार्वजनिक और सामुदायिक भवन (ii) सार्वजनिक सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षा (iii) शिक्षा (iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य (v) पेयजल और स्वच्छता (vi) सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली (vii) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (viii) कृषि और किसान कल्याण (ix) ऊर्जा आपूर्ति और वितरण प्रणाली (x) रेलवे, सड़कें, पुल और रास्ते (xi) पर्यावरण, जंगली जानवर, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन (xii) सार्वजनिक मनोरंजक सुविधाएं, खेल और पार्क
14	दिशानिर्देशों के अनुसार एमपीलैड योजना के तहत निम्नलिखित कार्य निषिद्ध हैं: (i) एमपीलैड्स निधियों का उपयोग किसी भी प्रकार के संचालन और रखरखाव के लिए नहीं किया जाएगा (ii) सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्यथा के लिए आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी (iii) वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों से जुड़े सभी कार्य (iv) एमपीलैड्स निधियों के तहत सृजित परिसंपत्तियों का नामकरण किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, के नाम पर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (v) कोई अनुदान और ऋण (vi) किसी भी केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राहत कोष में अंशदान (vii) भूमि का अधिग्रहण या अधिग्रहित भूमि के लिए कोई मुआवजा (viii) पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति

	(ix) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निधियों के साथ एमपीलैड निधियों को साझा करना। (x) धार्मिक प्रकृति के कार्य, या धार्मिक पूजा के स्थानों/परिसरों के भीतर और धार्मिक आस्था/समूह से संबंधित या उनके स्वामित्व वाली भूमि पर (xi) स्वागत द्वार या स्वागत द्वार का निर्माण (xii) अनधिकृत कॉलोनी में कार्य (xiii) किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय
15	यह अनिवार्य होगा कि एमपीलैड्स के अंतर्गत निर्मित सभी चल एवं अचल संपत्तियां, जहां तक संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल हों।
16	संसद सदस्य सभी **सोसायटियों/ट्रस्टों को मिलाकर प्रति वर्ष केवल ₹ 50 लाख तक** की धनराशि की अनुशंसा कर सकते हैं। वे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी सोसायटी/ट्रस्ट के लिए **₹ 1 करोड़ से अधिक** के कार्य की अनुशंसा नहीं कर सकते।
17	सांसदों के लिए एमपीलैड्स निधियों का कम से कम 15% अनुसूचित जाति-बसे हुए क्षेत्रों के लिए तथा 7.5% अनुसूचित जनजाति-बसे हुए क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष आवंटित करना आवश्यक है।
18	सांसद निचली एवं जिला अदालतों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की पुस्तकें खरीदने के लिए बार एसोसिएशन पुस्तकालय को एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा कर सकते हैं।
19	दिशानिर्देशों में उल्लिखित कुछ शर्तों के साथ एमपीलैड्स निधि को अन्य योजनाओं के साथ साझा करने की अनुमति दी गई है।
20	आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स कार्य: (i) देश में कहीं से भी कोई भी सांसद भारत सरकार द्वारा **देश के किसी भी हिस्से में घोषित** प्राकृतिक "गंभीर प्रकृति की आपदा" से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए **प्रति वर्ष ₹ 1 करोड़ तक** की अपनी एमपीलैड्स निधि की सहमति दे सकता है। (ii) किसी विशेष राज्य का सांसद **राज्य सरकार द्वारा घोषित** प्राकृतिक "गंभीर प्रकृति की आपदा" से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए **प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये तक** की सहमति दे सकता है।

21	योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एमपीलैड्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नोडल जिलों में एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
22	एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी भुगतान वास्तविक समय के आधार पर केन्द्रीय नोडल खाते से सीधे विक्रेताओं को किए जाएंगे।
23	किसी भी वर्ष में जारी की गई धनराशि की लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिला प्राधिकारी द्वारा अगले वर्ष 30 सितम्बर से पहले सीएनए के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

*****